E-Mail

सर्वोच्च प्राथमिकता / रागयबद्ध

संख्या 46 / 2006–66–04–227 / 2004

प्रेषक,

डी0सी0लाखा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव / सचिव,
विधानसभा / विधानपरिषद / लोक निर्माण / पंचायती राज / लघु सिंचाई / ग्राम्य विकास / बेसिक शिक्षा / समाज कल्याण / महिला कल्याण / विकलांग कल्याण / परिवार कल्याण / राजस्व / वित्त / नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

लखनऊ : दिनाँक : 03 फरवरी, 2006

विषय :– वर्ष 2006–07 में समग्र ग्राम्य विकास योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1996 / 66–2003 दिनाँक 9 दिसम्बर, 2003 के अनुपालन में प्रति माननीय सदस्य विधानसभा / विधानपरिषद को 10 ग्राम अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनने का अधिकार है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में समग्र विकास ग्रामों का चयन एवं क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है :–

1– माननीय सदस्यगण, विधानसभा व विधानपरिषद चयनित ग्रामों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिनाँक 28 फरवरी, 2006 तक उपलब्ध करायेंगे। माननीय सदस्य विधानपरिषद जिनका क्षेत्र एक से अधिक जनपदों में पड़ता है वह सूची शासन में अपर निदेशक, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, बापू भवन, कक्ष संख्या–306 को भी प्रेषित करेंगे।

2– जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित कार्यदायी विभाग के अधिकारी के सहयोग से कार्ययोजना दिनाँक 15 मार्च, 2006 तक तैयार कराकर अपर निदेशक, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, बापू भवन, कक्ष संख्या 306 को प्रेषित की जायेगी।

3– ज़िलाधिकारी द्वारा कार्ययोजना सम्बन्धित कार्यदायी विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव को भी साथ ही साथ प्रेषित की जायेगी।

4– सम्बन्धित कार्यदायी विभाग योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के जनपद स्तर पर गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे।

5– चयनित ग्रामों के कार्यान्वयन हेतु मानक कार्यदायी विभागों के होंगे तथा वित्तपोषण की व्यवस्था पूर्ववत् ही होगी। इसमें उपलब्ध संसाधनों को एकस्थ (convergence) करके ग्रामों को संतृप्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये भी लागू माने जायेगे।

6— चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण की कार्यवाही 1 अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ होगी और प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2007 तक संतृप्तीकरण का कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(डी0सी0लाखा)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या 46 (1)/ 66-2006 **तददिनाँक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3— प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
4— समस्त विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित कार्यदायी विभाग, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(टी0पी0पाठक)
विशेष सचिव,